

दीपक बनाम राजाखेड़ा

किस्म मुकदमा दावा नं. 111/22 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
-------------	----------------------------------	--

09¹¹/₂₂ अकुलाप उप. व वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रपोजा पत्र 07/11/22 सपडिटा द्वारा 151 CPC पेस किन्तु 06/12/22 के मिय नकुली व वकील वही को रिप्लाइ गइ। पना. वास्ते जसक प्राप. डि.के. 07/12/22 को पेस हो।

07¹²/₂₂ वकील अभपक्ष उप. पना. वास्ते जसक प्रा.पत्र डि.के. 26/12/22 को पेस हो।

26¹²/₂₂ Senior Teacher Eswan पना. वस्ते मे इन्प्री टैन् के कारण पीठासीन अधिकारी राजकाव से द्वारा पना. दिनांक 18/01/23 को पेस हो।

१/1/23 वादिमा के प्रार्थना पत्र पर पनावली पत्र पर से तत्पक्ष की जपी। वादिमा ने पत्रिजे अधिकारता प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब उपरोक्त प्रकरण को मे 'Contest' नहीं करना चाहते हैं। हमारा राजीनामा हो गया है। दावा इसी स्तर पर Not Press में खारिज किया जावे हमने पनावली का अवलोकन किया वकील वकील को सुना वकील दीपक एवं वकील अभिमन्यु (नावात्मि) की ओर से संप्रस्त वकील दीपक द्वारा वादपत्र खारिज करने के पत्र प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है।

दीपक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
----------------	----------------------------------	---

उत्तर वादी का वादपत्र इसी स्तर
 पर खारिज किया जाता है। प्रभावकी
 काल शुरुआत होकर दाखिल पत्र
 है।

उपखण्ड अधिकारी
 जालेडा (धौलपुर)

15/11/2018 दिनांक 15/11/2018 को
 11/2/2018 को 11/2/2018 को
 11/2/2018 को 11/2/2018 को
 11/2/2018 को 11/2/2018 को
 11/2/2018 को 11/2/2018 को